तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्या 03/2025	नम्बर व तारिख रुक्का जो हुक्म की तामिलमे जारी हुए
06–8–2025	पत्रावली आज दिनांक 06–8–2025 को पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल अरविन्द सिंह पुत्र कालूसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– बनास, पुलिस थाना सरुपगंज, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश प्रजापत ने जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल आले दर्जे का बदमाश है व शराब बेचने का अपराध करने का आदि है। गैरसायल द्वारा इस प्रकार शराब बेचने का कारोबार चलाने से कई गरीब परिवार अपनी जमा पुंजी गवा चुके है एवं गवा रहे है तथा गैरसायल द्वारा शराब का अवैध कारोबार करने से समाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नही लग पाई है। युवा एव किशोर वर्ग शराब पीने की तरफ अग्रसर हो रहा है जिसे रोका जाना आवश्यक है। गैरसायल के इस प्रकार के कृत्य से आम जन में भय का वातावरण बना हुआ है। आमजन ऐसे बदमाश व्यक्ति की आपराधिक हरकतों से परेशान है व इसने थाना क्षेत्र में अशान्ति का वातावरण बना दिया है इसके भय के कारण लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नही है। गैरसायल के विरुद्ध अवैध शराब बेचे जाने व परिवहन करते पकड़े जाने पर पुलिस थाना सरुपगंज में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत 02 मुकदमें दर्ज हुये है, जिनमे गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये एवं संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त दोनों अपराधों में दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने/सजा से दण्डित किया है। गैरसायल गुण्ड़ा प्रवृति का व्यक्ति है। अतः लोकहित में गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये सिरोही जिलें से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत दर्ज 02 मुकदमों में गैरसालय ने ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 13–12–2022 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी भी शांति भग नही की है व न ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। अतः गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल अरविन्द सिंह पुत्र कालू सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– बनास, पुलिस थाना सरुपगंज के विरुद्ध पुलिस थाना, सरुपगंज में राजस्थान आबाकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत अपराध संख्या 255 दिनाक 24–8–2022 व अपराध संख्या 353 दिनांक 13–12–2022 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार उक्त अपराध संख्या 255 दिनांक 24–8–2022 व अपराध संख्या 353 .....लगातार	नन

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्या 03/2025	नम्बर व तारिख जब हुक्म जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

दिनांक 13–12–2022 में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराध संख्या 255 दिनांक 24–8–2022 व अपराध संख्या 353 दिनांक 13–12–2022 में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्मान/सजा से दण्डित किया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराध संख्या 255 दिनांक 24–8–2022 व अपराध संख्या 353 दिनांक 13–12–2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां व इन दोनों मुकदमों में प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 255 दिनांक 24–8–2022 व अपराध संख्या 353 दिनांक 13–12–2022 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 12–10–2022 व 13–01–2023 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल अवैध शराब बेचने एवं परिवहन करने के अपराध करने का आदि है। वर्तमान में भी गैरसायल अवैध शराब परिहवन करने से बाज नही आ रहा है, इसके कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था एवं समाज पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है एवं गैरसायल गुण्ड़ा प्रवृति का व्यक्ति है।

आदेश

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल अरविन्द सिंह पुत्र कालूसिंह, जाति– राजपूत, निवासी–बनास, पुलिस थाना सरुपगंज, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में एक माह अर्थात् 30 दिन (दिनांक 07–8–2025 से 05–9–2025 तक) की अवधि के लिये उपखण्ड़ क्षेत्र, पिण्ड़वाडा से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के उपखण्ड़ क्षेत्र, पिण्ड़वाडा की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। गैरसायल किसी प्रकार के मादक पदार्थ अपने कब्जे में नही रखेगा। गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाट बाजार, सिनेमाघार, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में दिनांक 18–8–2025 व 28–8–2025 को पुलिस थाना, आबूरोड़ सदर में अपनी उपस्थिति देगा। थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड़ सदर को आदेशित किया जाता है कि उक्त दोनों तारीख में गैरसायल की उपस्थिति दर्ज कर इसकी सूचना थानाधिकारी, पुलिस थाना, सरुपगंज को प्रेषित करेंगे। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। आदेश/निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, सरुपगंज / आबूरोड सदर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)